

क्र०	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि	आवृत्त की राशि	परिमाण विवरण का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
	2	3	4	5	6
1	बेहो इलाके, कमांडी एवं लामुम के अन्तर्गत सोलर अन्वित जल संचयन योजना में अन्वित राशि 12 अन्वित योजनाओं में	1915646.00	18400.00	5000.00	15 दिन
1	Retrospective (के माध्यम से FITEC का कार्य) (जिला परिवहन मंत्र)				

दैनिक भास्कर 02/03/2021



समेकित जनजाति विकास अभिकरण, राँची
(कल्याण शाखा)
 (ब्लॉक-ए, कमरा संख्या- 112, ईमेल- dwo.ranchi@gmail.com) 0651-2213348

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति से संबंधित आवश्यक सूचना

छात्र-छात्राओं के लिए:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत राँची जिला में सूचीबद्ध सभी महाविद्यालयों / संस्थानों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के छात्र / छात्राओं को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा छात्रवृत्ति की राशि उनके खाता में **PFMS** के माध्यम से भुगतान किया जाता है। जिसके लिए छात्र-छात्राओं का बैंक खाता के साथ आधार **SEEDING/MAPPING** होना अनिवार्य है।

पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति राशि का लाभ लेने हेतु सभी योग्य छात्रों / अभिभावकों से अनुरोध है कि दिनांक 10.03.2021 तक निश्चित रूप से अपने संबंधित बैंक शाखा से संपर्क कर बैंक खाता संख्या को आधार के साथ **SEEDING/MAPPING** कराना सुनिश्चित करेंगे। छात्रों का बैंक खाता आधार के साथ **SEEDING/MAPPING** नहीं होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही छात्रों की होगी। **आधार Mapping / Inactive होने या लिंक नहीं होने** की जानकारी UIDAI के बेबसाईट <https://resident.uidai.gov.in/check-aadhaar-linking-status> पर भी प्राप्त की जा सकती है।

महाविद्यालयों / संस्थानों के लिए:- ई-कल्याण पोर्टल पर सूचीबद्ध सभी महाविद्यालयों / संस्थानों के प्रधानों से अनुरोध है कि अपने संस्थानों के छात्रों की सूची, जिसे संस्थान के द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत सत्यापित किया गया है कि सूची ई-कल्याण पोर्टल से डाउनलोड कर हार्ड कॉपी में पुनः जाँच करते हुए प्रत्येक पृष्ठ पर सत्यापित कर सत्यापित प्रति शपथ पत्र एवं Letter Head में पत्र के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 06.03.2021 तक निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय। ताकि योग्य छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान ससमय किया जा सके। सूची उपलब्ध नहीं होने पर छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया जा सकेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदेही संस्थानों की होगी।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
राँची